भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5754

(जिसका उत्तर सोमवार, 30 मार्च, 2026/09 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाना है)

"कृषि मदों पर जीएसटी"

5754. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को जानकारी है कि किसानों द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली कई वस्तुएं, जैसे फल संरक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले कागज़ के थैले, 18 प्रतिशत के उच्च जीएसटी स्लैब में शामिल है;
(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी वस्तुओं पर जीएसटी कम करने/इससे छूट देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;
(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है;
(घ) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) बागवानी किसानों के बीच बैगिंग तकनीक का संवर्धन करने के लिए अनुसंधान आधारित कार्य कर रही है और यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रभाव आकलन/अध्ययन किया गया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क), (ख) और (ग):

(i) जीएसटी दरें और छूट जीएसटी परिषद, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र के प्रतिनिधियों से मिलकर बना एक संवैधानिक निकाय है, की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं।

(ii) दिनांक 03.09.2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में की गई सिफारिश के आधार पर, अध्याय 48 के अंतर्गत आने वाले कागज़ के थैलों/बैग पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई थी।

(घ) और (ङ):

(i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के बागवानी विज्ञान प्रभाग के अंतर्गत कुछ संस्थान मुख्य रूप से आम और लीची जैसे फलों में बैगिंग तकनीक को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान आधारित कार्य कर रहे हैं। आईसीएआर-केंद्रीय उपोष्ण-कटिबंधीय बागवानी संस्थान (सीआईएसएच), लखनऊ ने दो आम बागानों (दशहरी और चौसा) में आम की अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) का प्रदर्शन किया है, जिसमें फ्रूट बैगिंग एक आवश्यक घटक है।

(ii) आम के फलों को बैग में पैक करने (फ्रूट बैगिंग) (जीएपी) का प्रभाव आकलन संयुक्त रूप से आईसीएआर सीआईएसएच, लखनऊ और आईसीएआर-राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान (एनआईएपी), नई दिल्ली द्वारा किया गया। नीति संक्षिप्त रिपोर्ट आईसीएआर-एनआईएपी, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है। लीची के मामले में, आईसीएआर-राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र (एनआरसीएल), मुजफ्फरपुर ने शाही और चाइना लीची की किस्मों में उपज, फलों की गुणवत्ता और कीटों के प्रकोप के मामले में बैगिंग तकनीक के प्रभाव का आकलन करने के उद्देश्य से "ऑन-फील्ड" परीक्षणों और "फील्ड-डे" प्रस्तुतिकरणों के बाद 100 किसानों को 30,000 फ्रूट बैग उपलब्ध कराए हैं। फ्रूट बैग में पैक करने की तकनीक अपनाने से लीची की औसत उपज में लगभग 30-35 प्रतिशत की वृद्धि हुई, फलों के जलने/फटने की घटनाओं में काफी कमी आई (बैग में पैक किए गए फलों में 0-5%), और फल-छेदक कीटों के मामले 3 प्रतिशत से कम हो गए।